न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 437/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति बैरागी (स्वामी) साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र लेखराम जाति बैरागी (स्वामी) साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नगराना।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
श्री प्रमोद डेलू वकील वादी
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया — वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 23.12.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी आपस में पिता पुत्र है एवं हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 4 एम.एम.के. एकल खाता संख्या 147/96 ज.स. 2073—2076 में कुल 0.506 है. व चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू एकल खाता संख्या 52/45 ज. स. 2071—74 में 1.691 है. व चक नं. 14 एसबीएन खाता संख्या 25/13 ज.स. 2070—2073 के संयुक्त खाता में 1.012 है. मे से 1/5 हिस्सा व चक नं. 6 एनजीआर खाता सख्या 31/29 ज.स.2072—2075 के संयुक्त खाता में 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा व चक नं. 2 एमएमके खाता संख्या 23/53 ज.स. 2071—74 के संयुक्त खाता में 3.036 है. मे से 1/5 हिस्सा व चक नं. 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7/6 ज.स. 2071—2074 के संयुक्त खाता में 0.039 है. मे से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खातों की कृषि भूमि की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की विरासतन आराजी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व प्रतिवादी के साथ निहित है। चक 1 एलएलडब्ल्यु एकल खाता संख्या 52/45 ज.स. 2071—2074 में 1.691 है. व चक 14 एसबीएन खाता संख्या 25/13 ज.स. 2070—73 के संयुक्त खाता में 1.012 है. मे से 1/5 हिस्सा व चक 6 एनजीआर खाता संख्या 31/29 ज.स. 2072—75 के संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खाता में 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा व चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7/6 ज.स. 2071–2074 के संयुक्त खाता में 0.039 है. मे से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। अर्थात उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जावे। वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार राजीनामा व घरू बंटवारा करवा दिया तथा चक नं. 2 एमएमके खाता संख्या 23/53 ज.स. 2071–74 के संयुक्त खाता में 3.036 है. मे से 1/5 हिस्स व चक नं. 4 एमएमके एकल खाता संख्या 147/96 ज.स. 2073–76 में कुल 0.506 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वंय के पास रख ली है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नतगत कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 3 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बैक की ओर जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 में वर्णितानुसार निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 6 एनजीआर खाता संख्या 31/29 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी।
2. चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7/6 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी।
3. चक 14 एसबीएन खाता संख्या 25/13 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबन्दी।
4. चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 52/45 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की जमाबन्दी।
5. चक 4 एमएमके खाता संख्या 147/96 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी।
6. चक 2 एमएमके खाता संख्या 23/53 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबन्दी।
7. चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 40/37 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

8. चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 41 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी।
9. चक 4 एमएमके खाता संख्या 63 / 58 जमाबन्दी सं. 2065–2068 की जमाबन्दी।
10. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा प्रकरण संख्या 224 / 2008 अनवान ओमप्रकाश बनाम लेखराम वगैरा में पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं. 4 एम.एम.के. एकल खाता संख्या 147 / 96 ज.स. 2073–2076, चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू एकल खाता संख्या 52 / 45 ज.स. 2071–74, चक नं. 14 एसबीएन खाता संख्या 25 / 13 ज.स. 2070–2073, चक नं. 6 एनजीआर खाता संख्या 31 / 29 ज.स. 2072–2075, चक नं. 2 एमएमके खाता संख्या 23 / 53 ज.स. 2071–74, चक नं. 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7 / 6 ज.स. 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद को प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 40 / 37 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 41 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी, चक 4 एमएमके खाता संख्या 63 / 58 जमाबन्दी सं. 2065–2068 की जमाबन्दी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 224 / 2008 अनवान ओमप्रकाश बनाम लेखराम वगैरा में पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश प्रतिया पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी 1 पिता / पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 40 / 37 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी, चक 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 41 जमाबन्दी सं. 2063–2066 की जमाबन्दी, चक 4 एमएमके खाता संख्या 63 / 58 जमाबन्दी सं. 2065–2068 की जमाबन्दी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 224 / 2008 अनवान ओमप्रकाश बनाम लेखराम वगैरा में पारित डिक्री की फोटो प्रति से विरास्तन साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है जिससे वाद [illegible] तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। [illegible] मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय पैतृक सम्पति के सांक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू एकल खाता संख्या 52/45 ज.स. 2071–74, चक 14 एसबीएन खाता संख्या 25/13 ज.स. 2070–2073, चक नं. 6 एनजीआर खाता संख्या 31/29 ज.स. 2072–2075, चक नं. 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7/6 ज.स. 2071–2074, चक नं. 4 एम.एम.के. एकल खाता संख्या 147/96 ज.स. 2073–2076 में प्रतिवादी सं. 1 रमेश कुमार पुत्र लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी जितेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त चको के उक्त खातो से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 365 / 2024

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति बैरागी (स्वामी) साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

वनाम

1. रमेश कुमार पुत्र लेखराम जाति बैरागी (स्वामी) साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. पंजाब नैशनल बैक शाखा नगराना।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं. 1 एलएलडब्ल्यू एकल खाता संख्या 52 / 45 ज.स. 2071–74, चक 14 एसबीएन खाता संख्या 25 / 13 ज.स. 2070–2073, चक नं. 6 एनजीआर खाता सख्या 31 / 29 ज.स. 2072–2075, चक नं. 1 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 7 / 6 ज.स. 2071–2074, चक नं. 4 एम.एम.के. एकल खाता संख्या 147 / 96 ज.स. 2073–2076 में प्रतिवादी सं. 1 रमेश कुमार पुत्र लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी जितेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त चको के उक्त खातो से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल........X.मुब्लिक.......X.....निल.........X.....बाबत्.........X...निल...........X..खर्चा मुकद्में के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज से तारीख वसूलयाबी तक.......X.... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:28:36 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया